# नारी शक्ति अधिनियम बदलेगा देश का भाग्य

> कांग्रेस पार्टी की नीतियां कितनी महिला विरोधी हैं, इसका प्रमाण है शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने संसद में कानून बनाकर पलट दिया था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाकर देश की आधी आबादी के प्रति भाजपा के सम्मान और दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित किया है.

**प्रशासनिक संवाददाता**

**भोपाल, 11 अप्रैल. केंद्र सरकार द्वारा 16 अप्रैल को संसद में पेश किए जाने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर शनिवार को आधा दर्जन भाजपा नेत्रियों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मोर्चा संभाला और पत्रकार वार्ता की.**

उन्होंने इस दौरान अधिनियम की खुबियां बताईं और कांग्रेस को जमकर कटघरे में खड़ा किया. अगुवाई भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व मंत्री व विधायक अर्चना चिटनीस ने की. इस दौरान उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश का भाग्य बदलने वाला कानून बनेगा. यह अधिनियम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का स्वर्णिम अध्याय लिखेगा.

श्रीमती चिटनिस ने कहा कि आजादी के बाद से महिलाओं को देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण दिए जाने की मांग समय-समय पर की जाती रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी आरक्षण दिलाने का प्रयास नहीं किया. भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में महिलाओं को संसद और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण दिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब विपक्षी दलों के विरोध के कारण बिल पास नहीं हो सका. अटल जी के समय महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाले सभी दल आज भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं. पत्रकार वार्ता में शासन की मंत्री संपतिया उइके, प्रदेश महामंत्री लता वानखड़े, प्रदेश मंत्री राजो मालवीय, अर्चना सिंह, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री मोना सुस्तानी एवं प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसे भी मौजूद थीं.

## भाजपा ने नियुक्त किए चार प्रकोष्ठों के संयोजक

**भोपाल.** प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर लगातार जारी है. इस कड़ी में शनिवार को चार भाजपा प्रकोष्ठों के संयोजकों की नियुक्ति की गई है. इनमें दो प्रकोष्ठों के संयोजक उज्जैन से जुड़े हुए हैं. सहकारिता प्रकोष्ठ का संयोजक किशन सिंह भटोल को बनाया गया है, जो कि उज्जैन से हैं. इसी तरह पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक कर्नल ईशान आर. को नियुक्त किया गया है, जो कि भोपाल से हैं. वहीं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक कपिल यादें उज्जैन और नि:शक्तजन कल्याण प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक संदीप रजक जबलपुर को बनाया गया है.

# बायो गैस, गोष्ठ का भी उपयोग करे जनता

## अब तक 2866 स्थानों पर जांच, 4283 सिलेंडर जब्त

### सरकार ने की अपील, पेट्रोल पंपों की जांच के निर्देश

**प्रशासनिक संवाददाता**

**भोपाल, 11 अप्रैल. प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध है. प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिये निरंतर कार्यवाही की जा रही है, अभी तक 2866 स्थानों पर जांच की गई, 4283 एलपीजी सिलेण्डर जब्त किये गए तथा 11 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई.**

प्रदेश के 738 पेट्रोल पंप की जांच कराई गई है. इसमें एक प्रकरण में एफआईआर. दर्ज कराई गई है. प्रदेश के समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी एवं ऑयल कंपनी के अधिकारियों को सतत् रूप से पेट्रोल पंपों की जांच करने के निर्देश दिये गये हैं. इस बीच अब आम जनता से बायो गैस, गोबर-धन और गो-काष्ठ का उपयोग करने की भी अपील की गई है. प्रदेश के जिलों में स्थित बॉटलिंग प्लांट तथा वितरकों के पास उपलब्धता एवं प्रदाय की सतत् रूप से समीक्षा की जा रही है.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित 70 फीसदी सीमा के अधीन संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों को तय किये गये प्राथमिकता क्रम अनुसार सप्लाई निरंतर जारी रखने के निर्देश दिये हैं. यह भी ध्यान रखा जाये कि सड़क पर कारोबार कर रहे छोटे व्यवसायी को भी उक्त अनुसार कमर्शियल सिलेण्डर प्रदाय किये जायें. ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्लांट अतिरिक्त समय तक काम कर रहे हैं.

# प्रदेश में लापरवाही का खतरनाक सिलसिला

### पटवारी ने सरकार से त्वरित और ठोस कार्रवाई की मांग की

**विशेष संवाददाता**

**भोपाल, 11 अप्रैल. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य में हाल की घटनाओं को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए लापरवाही का खतरनाक सिलसिला करार दिया है. उन्होंने कहा कि इन घटनाओं की कीमत आम नागरिक अपनी जान देकर चुका रहे हैं.**

पटवारी ने कथित रूप से जहरीले कफ सिरप के सेवन से करीब 25 लोगों की मौत का उल्लेख करते हुए इसे दवा नियंत्रण व्यवस्था की बड़ी विफलता बताया. वहीं इंदौर में दूषित पेयजल से 35 से अधिक लोगों की मौत को उन्होंने नगर प्रशासन की गंभीर लापरवाही करार दिया और आरोप लगाया कि जिम्मेदार लोग जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रहे हैं.

उन्होंने एम्स भोपाल के नवजात गहन चिकित्सा इकाई में चूहों की मौजूदगी की खबर पर भी गहरी चिंता जताई, इसे शिशु सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा और स्वास्थ्य मानकों का उल्लंघन बताया. उन्होंने याद दिलाया कि पिछले वर्ष इंदौर के एमवाय अस्पताल में भी चूहों के काटने से नवजातों की मौत का मामला सामने आया था.

> विशेषज्ञों का हवाला देते हुए पटवारी ने कहा कि एनआईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में संक्रमण-मुक्त वातावरण आवश्यक होता है, क्योंकि नवजातों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर होती है. उन्होंने कहा कि ये घटनाएं दवा नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, अस्पतालों की स्वच्छता और जवाबदेही की कमी जैसी व्यापक प्रशासनिक विफलताओं को उजागर करती हैं. पटवारी ने सरकार से त्वरित और ठोस कार्रवाई की मांग की.

## मंत्री विजयवर्गीय एवं चौहान ने सड़क निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन

**आगरमालवा.** मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा आगरमालवा जिले के प्रभारी नागरसिंह चौहान ने आज आगरमालवा जिला मुख्यालय पर बडौद चौराहे से पाल रोड तक 98.34 लाख रुपए की लागत से बनने वाली डामरीकृत सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया. इस अवसर पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों के समग्र विकास के लिए सतत प्रयासरत है. नगरीय क्षेत्रों में सुदृढ़ सड़क नेटवर्क एवं बेहतर जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करना प्राथमिकता में है.

## पेज एक का शेष

# किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ : राजनाथ

तरह 'जय जवान, जय किसान' के नारे को नए अर्थ के साथ चरितार्थ किया जा रहा है.

सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा किसानों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हैं और यह केवल कहने की बात नहीं, बल्कि पिछले वर्षों में जमीन पर हुए बेमिसाल कार्यों से साबित तथ्य है. उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले अगर किसान के नाम पर पैसा निकलता था तो आधा रास्ते में ही दूसरों की जेब में चला जाता था, जबकि अब सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि दिल्ली से जितना पैसा निकलता है, वह पूरा का पूरा सीधे किसान के खाते में पहुंचता है. उन्होंने कहा कि यह आर्थिक सहायता कोई दान नहीं, बल्कि किसान के पसीने और परिश्रम का सम्मान है, जिससे वह बीज, खाद और खेत के जरूरी खर्च पूरे कर पाते हैं.

### हर राज्य का कृषि रोडमैप तैयार हो रहा है : शिवराज

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से आग्रह किया कि वे केवल पारंपरिक अनाज-प्रधान खेती से आगे बढ़कर एकीकृत कृषि प्रणाली (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) अपनाएं, क्योंकि जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों- एक, दो या तीन एकड़ पर भी अगर अनाज के साथ फल, सब्जी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन जोड़ा जाए, तो वास्तविक रूप से लाभकारी खेती संभव है.

शिवराज ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्र सरकार हर राज्य का कृषि रोडमैप तैयार कर रही है, क्योंकि हर राज्य की परिस्थितियां और एग्रो-क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए भी राज्य सरकार के साथ मिलकर एक समग्र कृषि रोडमैप बनाया जाएगा, जबकि रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास इन चार जिलों के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने विशेष कृषि रोडमैप तैयार किया है.

**मुद्दा** | सिंघार ने यूसीसी लागू करने पर जतायी चिंता

# आदिवासियों के अधिकार होंगे प्रभावित

**विशेष संवाददाता**

**भोपाल, 11 अप्रैल. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इसका लागू होना आदिवासी समुदायों की पहचान, परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा बन सकता है.**

सिंघार ने कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में निहित है, जहां आदिवासी समाज सदियों से अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं को संरक्षित करता आ रहा है. उन्होंने तर्क दिया कि एक समान कानून थोपने से इन परंपराओं को नुकसान पहुंचेगा और उनके अधिकारों का हनन होगा.

संविधान के अनुच्छेद 44 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यूसीसी को नीति-निर्देशक तत्वों में रखा गया है, जो व्यापक सहमति की आवश्यकता को दर्शाता है, न कि इसे तत्काल लागू करने की. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वह बिना पर्याप्त परामर्श और लोकतांत्रिक विमर्श के इस कानून को जल्दबाजी में लागू करने की कोशिश कर रही है. सिंघार ने जोर देकर कहा कि समानता का अर्थ एकरूपता नहीं होता, बल्कि प्रत्येक समुदाय की विशिष्टता का सम्मान करते हुए न्याय सुनिश्चित

> उन्होंने बताया कि संविधान की पंचम अनुसूची और षष्ठम अनुसूची आदिवासी समूहों को सांस्कृतिक स्वायत्तता की गारंटी देती हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यूसीसी आदिवासी समुदायों पर भी लागू होगा और इस संबंध में सरकार से स्पष्ट आश्वासन की मांग की. व्यापक परामर्श की आवश्यकता पर जोर देते हुए सिंघार ने कहा कि आदिवासी समुदायों की परंपराओं और अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14